न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 69/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. सतीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण
2. हरीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण
3. मनीष कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण
4. कौशल्या देवी पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण
5. मन्जू देवी पुत्री राधेश्याम जाति ब्राहमण

निवासीयान ग्राम ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

:–––– अपीलांट्स

बनाम

1 रामोतार पुत्र रामनाथ
2 छीतर पुत्र रामनाथ
3 ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ
4 मोहर सिंह पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ
5 रणजीत पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ
6 तोफली पत्नि रामजीलाल पुत्रवधु रामनाथ
7 दारासिंह पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द
8 राजेन्द्र पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द
9 प्रहलाद पुत्र मूलचन्द जातियान चमार निवासीयान ग्राम बुर्जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तहसील वानसूर जिला अलवर राजस्थान

:———————— रेस्पो0

10. तहसीलदार, वानसूर

11. सीताराम पुत्र बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल निवासी घोडाफेर चौराहा, अलवर

12. श्योदत्त पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:——————— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर, बानसूर

दिनांक 11.1.2017

उपस्थित	:—	1.	वकील अपीलांट्स	:—	श्री गोविन्द राम यादव
		2.	वकील रेस्पो0	:—	श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

दूसरी अपीलः—

अपील संख्या :— 81/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :— 1. दौलतसिंह पुत्र श्योनाराण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:——————— अपीलांट

बनाम

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 रामोतार पुत्र रामनाथ जाति चमार निवासी वुर्जा
2 छीतर पुत्र रामनाथ जाति चमार निवासी वुर्जा
3 ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ जाति चमार निवासी वुर्जा
4 मोहर सिंह पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ जाति चमार वासी वुर्जा
5 रणजीत पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ जाति चमार निवासी वुर्जा
6 तोफली पत्नि रामजीलाल पुत्रवधु रामनाथ जाति चमार वासी वुर्जा
7 दारासिंह पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द जाति चमार निवासी वुर्जा
8 राजेन्द्र पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द जाति चमार निवासी वुर्जा
9 प्रहलाद पुत्र मूलचन्द जाति चमार निवासी वुर्जा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:------ असल रेस्पो0

10. सतीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी ज्ञानपुरा

10 हरीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा
11 मनीष कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा
12 कौशल्या देवी पत्नि राधेश्याम जाति ब्राह्मण वासी ज्ञानपुरा
13 मन्जू देवली पुत्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
14 सीताराम पुत्र बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल निवासी घोडाफेर चौराहा, अलवर
15 श्योदत्त पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
16 तहसीलदार, बानसूर

:------- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर, बानसूर
दिनांक 11.1.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 25.11.2021

1 उपरोक्त दोनों अपीलें के पक्षकार, तथ्य एवं विवादित आराजी एक समान है !
तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ पेश की गई है । इसलिये इन अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2 उपरोक्त दोनों अपीलें विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 110/2014 बाबत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 11.1.2017, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

3 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रामोतार वगैरा ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था आराजी हाल खसरा नम्बर 18 रकबा 1.73 हेक्टेयर वाके ग्राम खरवा तहसील बानसूर है, जिसके साबिक खसरा नम्बर 16 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा थे तथा इस खसरा नम्बर 16 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा के पूर्व खसरा नम्बर 86 मिन रकबा 01 बिस्वा, 89 मिन रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 90 मिन रकबा 13 बिस्वा थे । ये आराजी वाद पत्र में विवादित है । उक्त आराजी को वादीगण के बुजुर्गान रामनाथ व मूलचन्द पिसरान मांगू चमार काश्त करते थे । वे सम्वत 2016 से बहैसियत खरीददार काश्तकार काबिज थे । उनके बाद उक्त आराजी के 1/2 भाग पर वादी संख्या 01 ला0 6 तथा 1/2 भाग पर वादीगण संख्या 7 ला0 9 काबिज काश्तकार हैं । सम्वत 2016 में भूरा पुत्र रूग्गा जाति चमार साकिन पाली बुर्जा काबिज काश्तकार था । परन्तु प्रतिवादीगण असल के बुजुर्ग बिशम्भरदयाल व प्रभूदयाल तथा बंशी पिसरान जगन्नाथ ब्राह्मण ने अपने नाम विवादित भूमि पर गैर खातेदारी दर्ज करा ली और सम्वत 2021 के बंदोबस्त में गलत तौर पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करा ली । जब कि विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण अथवा उनके बुजुर्गों का कोई लेना देना नहीं है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र निर्णय दिनांक 11.1.2017 द्वारा डिक्री किया था, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण सतीश वगैरा ने अपील संख्या 69/2017 पेश की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 अपील संख्या 81/2017 दौलत सिंह ने धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ तहत अदालत के उक्त निर्णय दिनांक 11.1.2017 के खिलाफ पेश की है ।

5 विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद विन्दू पर तर्क दिये कि मुकदमे की पैरवी की समस्त जिम्मेदारी वकील साहव ने ले रखी थी और कह रखा था कि जब जरूरत पडेगी बुला लूंगा, लेकिन उन्होंने अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं दी । इसी कारण से अपील संख्या 69/2017 पेश करने में देरी हुई है । जानकारी होने पर जानकारी की तिथि से अपील पेश कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । इसी प्रकार दौलत सिंह तहत अदालत में पक्षकार नहीं था, इसलिये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । जव दिनांक 10.3.2017 को पटवारी हल्का ने विवादित आराजी का इंतकाल असल रेस्पो0 के नाम खुलने की जानकारी दी, तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । चूंकि अपीलांट दौलत सिंह तहत अदालत में पक्षकार नहीं था, इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । इसी कारणवश अपील संख्या 81/2017 पेश करने में देरी हुई है । अतः इस अपील में देरी को माफ किया जावे ।

6 अपील संख्या 69/2017 के गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने तर्क दिये कि तहत अदालत में अपीलांट्स प्रतिवादीगण की गलत तौर पर इकतरफा कार्यवाही की गई थी । अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था । अपीलांट्स ने अपनी इकतरफा कार्यवाही खुलवाई थी । परन्तु तहत अदालत ने सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । किसी भी राजस्व रेकार्ड में रेस्पो0 वादीगण की काश्त दर्ज नहीं है, ना ही जमाबन्दी सम्वत 2016, 2014 व उसके पश्चात की जमाबन्दी में वादीगण रेस्पो0 का नाम दर्ज है । वादीगण रेस्पो0 ने सम्वत 2016 में विवादित आराजी को भूरा पुत्र रूग्गा से खरीदना बताया है, परन्तु उक्त भूरा का नाम किसी भी रेकार्ड में दर्ज नहीं था, इसलिये भूरा को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था । पंजीकृत बयनामा भी भूरा ने वादीगण रेस्पो0 को नहीं कराया था । वादीगण रेस्पो0 ने केवल एक रसीद तहत अदालत में पेश की थी और उसी रसीद के आधार पर गलत तौर पर वाद पत्र डिक्री कर दिया गया । वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी पर सम्वत 2016 व 2014 में अपीलांट्स प्रतिवादीगण सतीश वगैरा के बुजुर्गान का कब्जा था । तब से ही लगातार कब्जा चला आ रहा था । इसलिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

सम्वत 2021 में अपीलांट्स प्रतिवादीगण की खातेदारी अंकित की है । वादीगण असल रेस्पो0 ने 50 साल वाद वाद पत्र पेश किया है । जबकि इससे पूर्व 2 बंदोबस्त हो चुके थे । तब वादीगण असल रेस्पो0 ने ध्यान क्यों नहीं दिया । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

7 अपील संख्या 81/2017 के गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी अपीलांट ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 5 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10 ला0 16 से खरीद की है, परन्तु अपीलांट को तहत अदालत में पक्षकार नहीं बनाया गया । इसलिये यह अपील धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है । अतः धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की इजाजत दी जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने आगे तर्क दिये कि मैं विवादित भूमि का सदभावी क्रेता हूं । मैंने भूमि रेकार्डेड खातेदार प्रतिवादीगण से खरीदी है और वक्त खरीद से ही काबिज चला आ रहा हूं । मुझे तहत अदालत में ना तो पक्षकार बनाया गया और ना ही मुझे सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्राप्त हुआ । मैंनें तहत अदालत में पक्षकार बनने हेतु आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो गलत तौर पर खारिज कर दिया गया । विवादित आराजी से वादीगण रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । उनका वाद पत्र गलत तौर पर डिक्री किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

8 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम अपील संख्या 81/2017 में धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस बताया कि विवादित आराजी का वह खरीददार है और उसके पक्ष में इंतकाल नम्बर 293 भी दर्ज हो चुका है । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत में अपीलांट दौलतसिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 के साथ पेश किये गये पंजीकृत बयनामा दिनांक 8.3.2016 का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट दौलत सिंह ने सतीश वगैरा से विवादित आराजी में उनका हिस्सा खरीदा है । इस प्रकार अपीलांट दौलतसिंह प्रथमदृष्टया हितबद्ध पक्षकार साबित होने से उसका धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उसे अपील पेशकरने की इजाजत दी जाती है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9 इसके पश्चात मियाद विन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद विन्दू पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और प्रकरण का निरतारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद विन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है तथा हर दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

10 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया जाता है । गुणावगुण के बिन्दू को निर्णीत करने के लिये हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श पी–2 में आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.73 हेक्टेयर पर कालू, मुनीम, दीपू पिसरान राधेश्याम हिस्सा 1/3, कालूराम, दीपू, मुनेश पिसरान राधेश्याम, कौशल्या देवी पत्नि स्व0 राधेश्याम, मंजू देवी पुत्री राधेश्याम समभाग 1/3 हिस्सा, सीताराम, श्योदत्त पिसरान बंशीधर सम 1/3 कौम ब्राह्मण साकिन ज्ञानपुरा खातेदार का अंकन है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2021 प्रदर्श पी–3 के अनुसार गत खसरा नम्बर 89 मिन रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 90 मिन रकबा 13 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 16 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा बनना पाया जाता है । जमाबन्दी सम्वत 2014 प्रदर्श पी–4 में खसरा नम्बर 89 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा पर विशम्भर दयाल, प्रभूदयाल, बंशीधर पिसरान जगन्नाथ को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है, परन्तु भूरा पुत्र रूग्गा की 11 साल से काश्त दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत 2021 प्रदर्श पी–5 में खसरा नम्बर 16 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा पर भीखाराम, प्रभूदयाल, बन्शी पिसरान जगन्नाथ कौम ब्राह्मण साकिन ज्ञानपुरा मु0 12 साल खातेदार का अंकन है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 प्रदर्श पी–6 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 16 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 18 रकबा 1.73 हेक्टेयर बनना पाया जाता है । मिसल बंदोबस्त सम्वत 2060 प्रदर्श पी–7 में खसरा नम्बर 18 रकबा 1.73 हेक्टेयर पर असल प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज किया हुआ है ।

11 बेचान रसीद प्रदर्श पी–8 में भूरा पुत्र रूघा ने अंकित किया है कि मनके भूरा बेटा रूघा निवासी बुर्जा पाली बानसूर का हूं । मुजहिर के पास कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा मौजा खरवा बानसूर में है, जिस पर मै अरसे दराज से काबिज हूं । आज मैं अपनी घर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जरूरत जायज वास्ते मु0 250/– दो सौ पचास रूपये में रामनाथ व मूलचन्द पिसर गांगू वासी बुर्जा पाली तहसील बानसूर को बेच दी है व कब्जा भी सौंप दिया है । आज मिति वैशाख सुदी 7 सम्वत 2016 को रसीद लिख दी है, जो काम आवे ।

12 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह भलीभांति सिद्ध है कि बंदोबस्त सम्वत 2021 से पूर्व विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 89 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा पर पिछले 11 साल से भूरा पुत्र रूघा का कब्जा काश्त चला आ रहा था, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2014 प्रदर्श पी–4 से सिद्ध है । सम्वत 2014 में पिछले 11 साल से भूरा पुत्र रूघा के काबिज होने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वर्ष 1955 अर्थात सम्वत 2012 में भूरा को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे, परन्तु गत बंदोबस्त सम्वत 2021 में उक्त गत खसरा नम्बर 89 से हाल नम्बर 16 बनाकर उस पर असल प्रतिवादीगण के बुजुर्गान को खातेदार दर्ज कर दिया, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2021 प्रदर्श पी–5 से स्पष्ट है । इसके बाद हाल बंदोबस्त सम्वत 2060 में गत खसरा नम्बर 16 से हाल नम्बर 18 रकबा 1.73 हेक्टेयर बनाकर असल प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया गया, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2060 प्रदर्श पी–7 से सिद्ध है ।

13 चूंकि भूरा पुत्र रूघा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे और उसने अपने खातेदारी अधिकार वादीगण के बुजुर्गो रामनाथ व मूलचन्द को बेच दिये और मौके पर भूमि का कब्जा खरीददारों को सौंप दिया । तभी से अर्थात खरीद की सम्वत 2016 से वादीगण के बुजुर्गो का कब्जा चला आ रहा था और उनके बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में वादीगण अपनी खरीदशुदा आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है । विद्वान तहत अदालत ने वादीगण का वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । लिहाजा अपील संख्या 69/2017 खारिज किये जाने योग्य है ।

14 जहां तक अपील संख्या 81/2017 का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमारी सुविचारित राय है कि अपील संख्या 69/2017 में हम दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्ध कर चुके हैं कि प्रश्नगत भूमि पर भूरा पुत्र रूघा की सम्वत 2014 में पिछले 11 साल से कब्जा काश्त होने की स्थिति में भूरा पुत्र रूघा को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे, परन्तु गत बंदोबस्त सम्वत

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2021 में असल प्रतिवादीगण के बुजुर्गों को गलत तौर पर खातेदार दर्ज कर दिया था, जबकि उक्त भूरा पुत्र रूघा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार दर्ज करना चाहिये था । असल प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के बाद असल प्रतिवादीगण का खातेदार दर्ज कर दिया गया था और फिर असल प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत आराजी का बेचान अपील संख्या 81/2017 के अपीलांट दौलतसिंह को कर दिया । जब असल प्रतिवादीगण का विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं बनता है तो फिर उन्हें अपीलांट दौलतसिंह को आराजी का बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलांट दौलतसिंह अपने बयनामा के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है । उसके बयनामा को बातिल व बेअसर करार दिया जाता है । लिहाजा अपील संख्या 81/2017 खारिज किये जाने योग्य है ।

15 अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें अपील संख्या 69/2017 एवं 81/2017 खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.1.2017 यथावत रखे जाते हैं ।

16 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 69/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. सतीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण
2. हरीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण
3. मनीष कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण
4. कौशल्या देवी पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण
5. मन्जू देवी पुत्री राधेश्याम जाति ब्राहमण

निवासीयान ग्राम ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

:——— अपीलांट्स

बनाम

1 रामोतार पुत्र रामनाथ
2 छीतर पुत्र रामनाथ
3 ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ
4 मोहर सिंह पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ
5 रणजीत पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ
6 तोफली पत्नि रामजीलाल पुत्रवधु रामनाथ
7 दारासिंह पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द
8 राजेन्द्र पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द
9 प्रहलाद पुत्र मूलचन्द जातियान चमार निवासीयान ग्राम बुर्जा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:————— रेस्पो0

10. तहसीलदार, बानसूर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

11. सीताराम पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी ग्रामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल निवासी घोडाफेर चौराहा, अलवर

12. श्योदत्त पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी ग्रामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:———— तरतीबी रेस्पो०

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर, बानसूर

दिनांक 11.1.2017

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट्स :— श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील रेस्पो० :— श्री ब्रहमप्रकाश यादव

दूसरी अपील:—

अपील संख्या :— 81/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :— 1. दौलतसिंह पुत्र श्योनाराण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांट

वनाम

1 रामोतार पुत्र रामनाथ जाति चमार निवासी बुर्जा
2 छीतर पुत्र रामनाथ जाति चमार निवासी बुर्जा
3 ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ जाति चमार निवासी बुर्जा
4 मोहर सिंह पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ जाति चमार वासी बुर्जा
5 रणजीत पुत्र रामजीलाल पौत्र रामनाथ जाति चमार निवासी बुर्जा
6 तोफली पत्नि रामजीलाल पुत्रवधु रामनाथ जाति चमार वासी बुर्जा
7 दारासिंह पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द जाति चमार निवासी बुर्जा
8 राजेन्द्र पुत्र रामकरण पौत्र मूलचन्द जाति चमार निवासी बुर्जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9 प्रहलाद पुत्र मूलचन्द जाति चमार निवासी बुर्जा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:——— असल रेस्पो0

10. सतीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी ज्ञानपुरा

10 हरीश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा
11 मनीप कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा
12 कौशल्या देवी पत्नि राधेश्याम जाति ब्राह्मण वासी ज्ञानपुरा
13 मन्जू देवली पुत्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
14 सीताराम पुत्र वंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल निवासी घोडाफेर चौराहा, अलवर
15 श्योदत्त पुत्र वंशीधर जाति ब्राहमण निवासी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
16 तहसीलदार, बानसूर

:——— तरतीवी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर, बानसूर
दिनांक 11.1.2017

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :— श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

पर्चा डिक्री दिनांक 25.11.2021

हर दोनों अपीलें अपील संख्या 69/2017 एवं 81/2017 खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.1.2017 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर